सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 11/2017

1. श्री गोपाल पुत्र श्री जीवनराम जाति बावंरी निवासी 5 एसटीबी (बी) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

अपीलांट

बनाम

1. गोरधन पुत्र जीवनराम
2. दर्शनराम पुत्र जीवराम

} अकवाम बांवरी निवासीगण 5 एसटीबी (बी) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

3. दर्शनराम निवासी इन्द्रा बस्ती अनूपगढ तहसील अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित : 1. श्री सुशील बिश्नोई , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री जगमोहन आहूजा, अधिवक्ता, रेस्पो.

आदेश **दिनांक : 22.05.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि चक 3 एफडी के मुरब्बा नम्बर 13 पत्थर नम्बर 244/211 व मुरब्बा नम्बर 42 पत्थर नम्बर 242/214 की कुल 6.327 हैक्टर भूमि में अपनी समस्त 3.291 हैक्टर भूमि जीवनराम के नाम से थी। इस भूमि की वसीयत गोरधनराम, दर्शनराम के पक्ष में दिनांक 27.03.2014 को करवाई गई। वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 12.09.2014 को हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण– पत्र रजिसट्रार जन्म मृत्यु ग्राम पंचायत 8 एसटीबी पंचायत समिति अनुपगढ के पंजीयन क्रमांक 16/2014 दिनांक 16.09.2014 की फोटो प्रति सलंग्न वसीयत है। वसीयत के अनुसार नामान्तरणकरण दर्ज करने का आदेश जारी किया जावे इस सपर श्रीमान तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर जिसे की आगे अधीनस्थ न्यायालय के नाम से सम्बोधित किया जायेगा ने दिनांक 28.12.2016 को उक्त भूमि का इन्तकाल रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के पक्ष में करने का आदेश पटवारी हल्का को दे दिया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.12.2016 विधि विरूद्व खिलाफ कानून वाक्येयात व इन्साफ न होने की वजह से काबिल निरस्ती के है। तथाकथित वसीयत दिनांक 27.03.2014 वसीयत की परिभाषा में नहीं है वह सफेद कागज पर टाईप की गई है जिसकी जानकारी वसीयतकर्ता को नहीं दी गई उसको मुगलता में रख कर यह वसीयत गवाहान से मिल कर फर्जकारी कर कूटरचित तैयार की गई है। वसीयतकर्ता काफी वृद्व था जो मृत्यु से दो साल पूर्व ही अपनी सुद्वबुद्व खो बैठा था वह अपने आप किसी प्रकार का कोई निर्णय लेने में सहमत नहीं था। इसलिए रेस्पोडेन्ट ने उसकी इस सुद्वबुद्व खोने का नाजायज फायदा उठाकर उसने पाईप पेपर पर कूट रचना कर गवाहान से मिल कर यह फर्जी दस्तावेज तैयार किया है। इसलिए श्रीमान तहसीलदार के कार्यालय में सभी पक्षकारान को ना बुलकार कर्मचारियों से मिलकर यह आदेश इन्तकाल करने का पारित करवाया गया है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अकेले रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के पक्ष में वसीयत करने का कोई कारण वसीयत में दर्ज नहीं है। विधि अनुसार सुनाा नहीं गया है। अतः अपील पेश करके अर्ज है कि न्यायहित में अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्ययालय का निर्णय दिनांक 28.12.2016 निरस्त किया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि चक 3 एफडी के मुरब्बा नम्बर 13 पत्थर नम्बर 244/211 व मुरब्बा नम्बर 42 पत्थर नम्बर 242/214 की कुल 6.327 हैक्टर भूमि में अपनी समस्त 3.291 हैक्टर भूमि जीवनराम के नाम से थी। इस भूमि की वसीयत गोरधनराम, दर्शनराम के पक्ष में दिनांक 27.03.2014 को करवाई गई। वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 12.09.2014 को हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण– पत्र रजिसट्रार जन्म मृत्यु ग्राम पंचायत 8 एसटीबी पंचायत समिति अनुपगढ के पंजीयन कमांक 16/2014 दिनांक 16.09.2014 की फोटो प्रति सलंग्न वसीयत है। वसीयत के अनुसार नामान्तरणकरण दर्ज करने का आदेश जारी किया जावे इस सपर श्रीमान तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर जिसे की आगे अधीनस्थ न्यायालय के नाम से सम्बोधित किया जायेगा ने दिनांक 28.12.2016 को उक्त भूमि का इन्तकाल रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के पक्ष में करने का आदेश पटवारी हल्का को दे दिया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.12.2016 विधि विरूद्व खिलाफ कानून वाक्येयात व इन्साफ न होने की वजह से काबिल निरस्ती के है। तथाकथित वसीयत दिनांक 27.03.2014 वसीयत की परिभाषा में नहीं है वह सफेद कागज पर टाईप की गई है जिसकी जानकारी वसीयतकर्ता को नहीं दी गई उसको मुगलता में रख कर यह वसीयत गवाहान से मिल कर फर्जकारी कर कूटरचित तैयार की गई है। वसीयतकर्ता काफी वृद्व था जो मृत्यु से दो साल पूर्व ही अपनी सुद्वबुद्व खो बैठा था वह अपने आप किसी प्रकार का कोई निर्णय लेने में सहमत नहीं था। इसलिए रेस्पोडेन्ट ने उसकी इस सुद्वबुद्व खोने का नाजायज फायदा उठाकर उसने पाईप पेपर पर कूट रचना कर गवाहान से मिल कर यह फर्जी दस्तावेज तैयार किया है। इसलिए श्रीमान तहसीलदार के कार्यालय में सभी पक्षकारान को ना बुलकार कर्मचारियों से मिलकर यह आदेश इन्तकाल करने का पारित करवाया गया है। अकेले रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के पक्ष में वसीयत करने का कोई कारण वसीयत में दर्ज नहीं है। विधि अनुसार सुनाा नहीं गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि वसीयत गोरधन–दर्शनराम पिसरान जीवणराम जाति बांवरी ससा0 5 एसटीबी (बी) तहसील श्रीविजयनगर के पक्ष में दिनांक 27.03.2014 को की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी श्री गोपाल पुत्र जीवनराम दिनांक 29.12.2014 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर का स्थगन आदेश दिनांक 22.12.2014 की प्रति पेश कर उपस्थित हुआ है। अपीलाधीन इंतकाल विवादित है इसलिए हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। वसीयत को प्रूव करवाने के लिए सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिये थी। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होने के कारण क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपील खारिज की जानी चाहिये।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रायसिंहनगर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 28.12.2016 दोनों पक्षों को सुनकर पारित किया गया है इसलिए हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर को है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2016 को तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं0 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2014 को प्रस्तुत कर वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद अपीलांट गोपाल राम पुत्र जीवनराम ने दिनांक 29.12.2014 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर का स्थगन प्रार्थना पत्र की प्रति पेश की एवं दिनांक 22.07.2015 को माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश रायसिंहनगर का स्थगन आदेश प्र0स0 18/2015 दिनांक 14.07.2015 की प्रति पेश कि गई जिसमें विवादित रकबा की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वसीयत के आधार पर इन्तकाल **दर्ज न किया जावे।** इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों पक्ष उपस्थित हो गए हैं और एक पक्ष द्वारा आक्षेप कर देने से अपीलाधीन **इंतकाल विवादित हो गया है।** इस प्रकार अपीलाधीन इंतकाल के विवादित हो जाने के कारण अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार धारा 135(2) के अन्तर्गत इस न्यायालय को नहीं है।

मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा आर बी जे (4)1997 पेज 198 में अभिनिर्धारित किया है कि Rajasthan Land Revenue Act 1956 - Section 135[2] In Case of Disputed Mutation- Appeal will lie before the Commissioner.

शासन के परिपत्र सं0 एफ 6 (21) रेवेन्यू/ जीआर /4/ 87/ 29 जीएसआर/60 दिनांक 20–6–87 द्वारा डायरेक्टर लैण्ड रिकार्ड की शक्तियॉ माननीय संभागीय आयुक्त को है।

इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रायसिंहनगर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश आक्षेप के संदर्भ में दोनों पक्षों को सुनकर पारित किया गया है जो धारा 135(2) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की परिधि में होने से हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर को है। अतः हस्तगत अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होने अपीलार्थी को लौटाई जाती है। हस्तगत अपील इस न्यायालय के क्षेधाकिार में न होने के कारण अपील में जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ सम्बन्धित तहसीलदार रायसिंहनगर को भिजवाई जावें एवं रिकार्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 22.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/5/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।